

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) छत्तीसगढ़

जीरो पॉइंट, विधान सभा रोड रायपुर, पिन-492005

(e-mail: agaechhattisgarh@cag.gov.in)

क्रं. प्रशासन-II //F-381/का.आ.- 41

दिनांक: 04.06.2025

कार्यालय आदेश

अधिकारी द्वारा दिये गए अनुरोध, स्थानांतरण एवं पदस्थापना समिति के अनुशंसा एवं अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित संभागीय लेखाधिकारी / संभागीय लेखापाल को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए संभाग में मध्य कालीन स्थानांतरण किया जाता है:

Sl	Name / Designation (Shri/Ms.)	Present Posting (O/o the E.E.)	New Posting (O/o the E.E.)
1	Prashant Saraswat, DA	Bodhghat Dam Division Dantewada (Temp Hqrs. Raipur)	PWD (E/M) Kanker

1. उपरोक्त स्थानांतरण अधिकारी के अनुरोध पर किया गया है इसलिए वे कार्यग्रहण अवधि, स्थानांतरण यात्रा भत्ता इत्यादि के पात्र नहीं होंगे।
2. उपरोक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर नए संभाग में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा वे 15 दिवस के उपरांत संभाग से स्वतः कार्यभार मुक्त माने जायेंगे।

(प्राधिकार- प्रधान महालेखाकार महादेय के आदेश दिनांक : 04.06.2025)

Sd/-

उप महालेखाकार

(प्रशासन, लेखा एवं व्ही.एल.सी)

क्रमांक-प्रशासन-II /F-381/का.आ.-41/172-79

दिनांक: 04.06.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:

1. संबन्धित कार्यपालन अभियंता (e-mail द्वारा)।
2. संबन्धित कोषालय अधिकारी (e-mail द्वारा)।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर
4. निजी सचिव, उप महालेखाकार/ प्रशासन लेखा एवं व्ही.एल.सी.
5. वरिष्ठ लेखा अधिकारी / सर्वर (For upload in website).
6. संबन्धित अधिकारी को आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी /प्रशासन- II